

संसदीय वशिषाधिकारों का हनन

सरोत: हदिसतान टाइमस

राष्ट्रपति के अभिषाषण पर टिप्पणी किये जाने के पश्चात् कुछ सांसदों के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का औपचारिक नोटिस दायर किया गया।

- वशिषाधिकार का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकारों, अधिकारों या उन्मुक्तियों की अवहेलना करता
 है या उन पर आक्षेप करता है।
- परिचय: संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्ति सांसदों और विधायकों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना उनका प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चिति करने हेतु प्रदत्त विशेष अधिकार हैं।
- स्रोत:
 - ॰ **संवधान** का <u>अनुच्छेद 105, 122, 194</u> और <u>212</u>।
 - ॰ **संसदीय परंपराएँ** (वर्ष 1947 की **ब्रिटिश संसदीय परिपाटी** पर आधारित)।
 - ॰ पुरक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम (लोकसभा और राज्यसभा)
 - न्यायिक निर्वाचन (सर्वोचच न्यायालय और उचच न्यायालय के निर्णय)
 - ॰ **सांवधिक वधियाँ** (संसद द्वारा अधिनियिमित विधियाँ) (वर्तमान में, संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला संसद का कोई अधिनियम नहीं है)।
- संसदीय विशेषाधिकार में शामिल हैं:
 - वैयक्तिक विशेषाधिकार: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक कार्यवाही से उनुमुक्ति, गरिफ्तारी से उनुमुक्ति आदि।
 - ॰ सामूहिक विशेषाधिकार: गुप्त बैठकें, अन्वेषण शक्तियाँ, न्यायिक उन्मुक्ति आदि।
- अनुच्छेद 87 के तहत, राष्ट्रपति, लोकसभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा।

और पढ़ें: संसदीय वशिषाधिकार और उनमुकतियाँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/breach-of-parliamentary-privileges